Govt. Indira Kenwat Girl's College U. B. Kanker (C.G.)
R. No. 244
DATE 22/8/15

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा

सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

(फोन - 0771-26361[illegible], फैक्स - 0771-2263[illegible])

(Email - [illegible])

क्रमांक 350/121/आउशि/समन्वय/2015 नया रायपुर दिनांक 14/08/2015

प्रति,

1- कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़

2- प्राचार्य,
समस्त अग्रणी महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़

शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
क्र. 1708
दि. 18/8/15

विषय :- छत्तीसगढ़ में महिलाओं तथा [illegible] के लिए [illegible] आवासीय संस्थाओं में सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु लागू की गई समेकित कार्ययोजना की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक दिनांक 27-05-2015 के कार्यवाही विवरण का प्रेषण।

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, नया रायपुर का पत्र क्रमांक-3060/2407/2015/38-1 दिनांक 31.07.2015 के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक-एफ-11-7/2014/मबावि/50 दिनांक 24-06-2015 की छायाप्रति संलग्नों सहित संलग्न कर भेजी जा रही है। उक्त पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ में महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए संचालित आवासीय संस्थाओं में सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु लागू की गई समेकित कार्ययोजना की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक दिनांक 27.05.2015 के कार्यवाही विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ है।

कृपया आप अपने एवं आपके [illegible] शासकीय/अशासकीय अनुदान प्राप्त/निजी महाविद्यालयों को पत्र की [illegible] संबंधित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन [illegible] कर संचालक एवं इस कार्यालय को शीघ्र भिजवाने करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(डॉ. किरण गजपाल)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 351/121/आउशि/समन्वय/2015 नया रायपुर, दिनांक 14/08/2015

प्रतिलिपि:-

1. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.) की ओर पत्र क्रमांक-3060/2407/2015/38-1 [illegible] के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. संचालक, महिला एवं बाल विकास [illegible] नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. प्रभारी अधिकारी, [illegible] नया रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
जिला – उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)
फोन : 07868– 222028 (का.), 07868– 222405 (नि.), फैक्स : 07868–224487
Email : govtpgcollegekanker@gmail.com

क्रमांक / 1318 /प्रा.क. / 2015 कांकेर, दिनांक– 12 / 12 / 2015

प्रति,

प्राचार्य,

शासकीय कन्या महाविद्यालय,कांकेर,

शासकीय महाविद्यालय चारामा, अन्तागढ़,

दुर्गूकोन्दल, पखांजूर, सरोना, भानुप्रतापपुर,
नरहरपुर

Govt. Indru Kenwat Girl's College U. B. Kanker (C.G.)
R.No-394
DATE-15/12/15

विषयः– छत्तीसगढ में महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए संचालित आवासीय संस्थाओं में सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु लागू की गई समेकित कार्ययोजना की समीक्षा हेतु।

संदर्भः– महिला एवं बाल विकास विभाग छ.ग. से प्राप्त पत्र क्र. / 5218 / म.बा.वि.सा.वि. / 15–16 दिनांक 03.11.2015 ।

संदर्भः– आयुक्त कार्यालय का पत्र क्र. / 519 / 173 / आउशि / समन्वय / 15 रायपुर, दिनांक 07.12.2015 ।

— 00 —

उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में अवगत हो कि, महाविद्यालय स्तर पर छात्राओं की समस्याएं एवं सुरक्षा हेतु महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है ? तत् संबंधित पालन प्रतिवेदन समेंकित जानकारी शासन को उपलब्ध कराना है।

अतः महाविद्यालय स्तर पर की गई कार्यवाही से अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को अवगत करायें।

(डॉ.आर.के.हिरकने)
प्रभारी प्राचार्य
भा.प्र.देव शास.स्नातको.महावि.
जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

पृ.क्र. / /प्रा.क. / 2015 कांकेर, दिनांक 12 / 12 / 2015

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
3. स्थापना शाखा ~~को सूचनार्थ~~।

(डॉ.आर.के.हिरकने)
प्रभारी प्राचार्य
भा.प्र.देव शास.स्नातको.महावि.
जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय—प्राचार्य, शासकीय इंदरू केवट कन्या महाविद्यालय,कांकेर
जिला—उत्तर बस्तर कांकेर (छ0ग0)
फोन नम्बर—07868—223904, फैक्स 07868—223904

क्रमांक/ 407 /2015 कांकेर, दिनांक 17/12/2015

प्रति,

प्राचार्य,
भानुप्रतापदेव शास स्नातकोत्तर महाविद्यालय
कांकेर।

विषयः— छत्तीसगढ़ में छात्राओं के लिये संचालित महाविद्यालय में सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु लागू की गई समेकित कार्ययोजना की समीक्षा हेतु।

संदर्भः— 1. महिला एवं बाल विकास विभाग छ0ग0 से प्राप्त पत्र क्रं./5218/म.बा.वि. सा.वि./15—16
2. आयुक्त कार्यालय का पत्र क्रं./519/173/आउशि/समन्वय/15 रायपुर, दिनांक 07.12.2015

==00==

उपरोक्त संदर्भित पत्र के संबंध में महाविद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा के लिये जानकारी प्रेषित हैः—

1. महाविद्यालय में सुरक्षित बाउन्ड्रीवाल है।
2. सीसी केमरे लगाये गये है।
3. छात्राओं के हित के लिये असंबद्ध लोगों का प्रवेश वर्जित है के फ्लेक्स लगाये गये है।
4. शिकायत बॉक्स रखा गया है।
5. रैंगिग से संबंधित फ्लेक्स लगाये गये है। उसमें सबंधित टेलीफोन नंबर दिये गये है।
6. महिला उत्पीड़न समिति का गठन महाविद्यालय में 2 वर्षो से किया गया है।

(डॉ रश्मि सिंह)
प्राचार्य
शासकीय इंदरू केंवट कन्या
महाविद्यालय कांकेर (छ0ग0)

Scanned with CamScanner

कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय इंदरू केंवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर
जिला - उत्तर बस्तर कांकेर (छ०ग०)

फोन नम्बर :- 07868-223904, फेक्स -07868-223904 Emil.Id- ggckanker@gmail.com

क्रमांक / 571 / स्था / 2018 कांकेर दिनांक 18/01/2018

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास
उत्तर बस्तर कांकेर (छ०ग०)।

विषय :- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013(2013 की संख्या 14) का क्रियान्वयन एवं वार्षिक प्रतिवेदन बाबत्।

संदर्भ :- क्रमांक / 1624 / मबावि / नव बिहान / 2017-18 कांकेर,दिनॉक 06.01.2018

==00==

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 (2013 की संख्या 14) का क्रियान्वयन हेतु आपके विभाग द्वारा प्राप्त प्रकरणों के संबंध में चाहि गई जानकारी संलग्न प्रपत्र में तैयार कर आपकी ओर प्रेषित है।

18/01/18

(डॉ0 रश्मि सिंह)
प्राचार्य,
शासकीय कन्या महाविद्यालय
कांकेर (छ0ग0)

Scanned with CamScanner

कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय इंदरू केंवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर
जिला - उत्तर बस्तर कांकेर (छ०ग०)
फोन नम्बर :– 07868–223904, फेक्स –07868–223904 Emil.Id- ggckanker@gmail.com

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013(2013 की संख्या 14) का क्रियान्वयन एवं वार्षिक प्रतिवेदन

क्र.	वर्ष में प्राप्त लैगिक उत्पीड़न की शिकयतों की संख्या	ऐसी शिकायतों की संख्या जिनका वर्ष के दौरान निराकरण किया गया	ऐसा मामलों की संख्या जो 90 दिन से अधिक अवधि तक लंबित है।	लैंगिक उत्पीड़न के विरूद्ध क्रियान्वित कार्यशालाओं या जागरूक्ता कार्यक्रमों की संख्या	नियोक्ता या समिति द्वारा की गई कार्यवाही का स्वरूप
1	2	3	4	5	6
			––निरंक––		

(डॉ0 रश्मि सिंह)
प्राचार्य
शासकीय कन्या महाविद्यालय
कांकेर (छ0ग0)

a) Physica
b) A dem

Scanned with CamScanner

Govt. Indaru Kenawar Girls
R. No. 477
DATE 28.1.17
Kanker

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास) उत्तर बस्तर कांकेर

क्रमांक/27651/मबावि/नवा बिहान/2016-17 कांकेर, दिनांक 25/01/2017

प्रति,

समस्त, विभाग प्रमुख प्राचार्य शासकीय इंदरू केंवट कन्या
जिला उत्तर बस्तर कांकेर महाविद्यालय कांकेर

विषय :- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013(2013 की संख्या 14) का क्रियान्वयन एवं वार्षिक प्रतिवेदन बाबत्।

-::000::-

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र अनुसार महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013(2013 की संख्या 14) का क्रियान्वयन हेतु आपके विभाग में प्राप्त प्रकरणों में की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना है । दिनांक 01.12.2016 को आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी को इस संबंध में अवगत कराया गया है ।

अतः आपके विभाग अन्तर्गत प्राप्त समस्त प्रकरणों में की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को तीन दिवस के भीतर अवगत कराने का कष्ट करेगें ताकि शासन को वार्षिक प्रतिवेदन भेजा जा सके ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

25/1/17

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
उत्तर बस्तर कांकेर

(श्रा०
निरंक जानकारी प्रेषित
किया जाय।
[signature])

Scanned with CamScanner